

fgekpy in'k vkokl ,o 'kgjh fodkl ikf/kdj.k fuekl.k e.My ijok.k] d
y[kkvk dk vdf{k.k ,o fujh{k.k ifronu
vd{k.k vof/k 04@2010 l 03@2011

Hkkx&, d

1 %d% iLrkouk %&

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू, जिला सोलन के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2011 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0 सुरेश कुमार, वषिष्ठ अधिषाषी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

%[k% fgekpy in'k vkokl ,o 'kgjh fodkl ikf/kdj.k fuekl.k e.My ijok.k]
d y[kkvk vof/k 04@2010 l 03@11 d vdf{k.k ifronu e mYyf[kr
xEHkhj vfu;ferrkvk dk l f{klr fooj.k

<u>Øe</u> <u>l[;k</u>	<u>xEHkhj vfu;ferrk dk l f{klr fooj.k</u>	<u>ijk l[;k</u>	<u>jkf'k %₹%</u> <u>yk[kk e</u>
1	(1) जल प्रभार एवं रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष राशि	4 व 4(1)	90.79
2	(1) एकीकृत आवासीय टारुनषिप, मन्धाला के निर्माण कार्य में अधिक भुगतान	5(1 से 5)	2.65
	(2) प्रति स्थापित कार्य मर्दे बिना स्वीकृति के भुगतान करना	5(6)	47.59
3	एस0सी0/एस0टी0 होस्टल, नालागढ़ जिला सोलन के निर्माण कार्य में 10 सी0सी0 दावे के रूप में अधिक भुगतान	6	1.10
6	8 नम्बर कैटगरी-1 प्लैटस ब्लॉक नम्बर 72 के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	8	0.28

fgekpy in'k vkokl ,o 'kgjh fodkl ikf/kdj.k e.My ijok.k ftyk
lkysu d: y[kk dk vdf{k.k ,o fujh{k.k ifronuA

vof/k 01-04-2010 I 31-03-2011

Hkkx&, d

1 %,% ikjfeHkd %&

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपती संख्या: एच0एल0जी0-4(डी) 1-1/92/2, दिनांक 13.09.2004 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला को अधिकृत किया गया है। निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला-171009 की ओर से हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के परवाणू मण्डल के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण व वितरण अधिकारी के पद ई0 श्री सुरेन्द्र कुमार वशिष्ठ अधिशासी अभियन्ता दिनांक 31.05.10 तक व श्री ई0 उमेश शर्मा, अधिषाषी अभियन्ता दिनांक 01.06.2010 से 31.03.2011 द्वारा करर्यरत थे।

%ch% xr vdf{k.k ifronu d: 'k"i ijk dk fooj.k %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल के अत्यधिक ऑडिट पैरे पूर्ण निपटारे हेतु शेष पाए गए जिनके निपटारे हेतु विशेष प्रयास/ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है अनिर्णीत पैरों की गई कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त शेष पैरों का विवरण परिशिष्ट “क” में दर्शाया गया है।

Hkkx&2

2 oreku vdf{k.k %&

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण परवाणू मण्डल के लेखाओं अवधि 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री सुरेश चन्द गुप्ता, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) श्री अनिल मेहरा, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) व श्री कृष्ण लाल नेगी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.11.2011 से 27.12.2011 तक श्री पदम सिंह कँवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, षिमला-9 के पर्यावेक्षण में परवाणू में किया गया। मास 03/2011 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को आगरमी पैराग्राफस में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण में आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिषासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा

विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि लेखाओं का अंकक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 vd{k.k 'kYd %&

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण परवाणू मण्डल के लेखाओं अवधि 01.04.2010 से 31.03.11 तक के अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण षिमला-2 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 ijok.k e.My dī v/khu vkol cLrh ijok.k cīh o ukykx< dī ty iHkkj ,oe
j[k&j[kko dī : i eī fnukd 31-03-11 rd ₹90-79 y[k[k dh ol yh 'k" k %&

fnukd 31-03-11 rd ty iHkkj dh jkf'k ₹26-07 yk[k dh oLih 'k'k %&

हिमुडा मण्डल के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.03.11 तक जल प्रभार की राशि ₹26,06.659/— वसूल की जानी शेष थी। उक्त मद का गत वर्षों के सम्बन्ध में अवलोकन करने पर पाया कि वसूली हेतु बकाया निरन्तर बढ़ रहा है जो कि एक गम्भीर विषय है। अतः मण्डलाधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि लम्बित जल प्रभार राशियों की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

¼½ fnukd 31-03-11 rd j[k j[kko iHkkj dh jkf'k ₹64-72 yk[k dh o lyh 'k"k %&

हिमुडा मण्डल परवानू के अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/आबंटियों से रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹64,72,021/- दिनांक 31.03.11 तक वसूली हेतु शेष थे। पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस सन्दर्भ में परामर्श दिया था कि रख-रखाव प्रभार की वसूली हेतु विशेष कदम उठाए जाएं परन्तु मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः मण्डलाधिकारी को पुनः परामर्श दिया जाता है कि रख-रखाव प्रभार की वसूली हेतु विशेष एवम् ठोस कदम उठाए जाएं व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

1/2 1/2 fgeMk e.My ijok.k d: v/khu vkokl cLrh ijok.k cíh ,o ukykx< d: ty iHkkj
,o j[k&j[kko iHkkj d: :i e fnukd 31-03-2011 rd n'kk; 'k" ₹90]78]680-00
okLrfod u gkuk %&

मण्डल के अधीन उपमण्डलों के जलप्रभार एवं रख-रखाव से सम्बन्धित दिनांक 31.03.2011 को दर्शाये गए शेष राशि का विवरण की जाँच करने पर पाया कि ₹90,78,680.00 की राशि जो शेष विवरण (outstanding statement) में दी गई है, वास्तविक नहीं है। विभिन्न पंजिकाओं से शेष राशि की Posting

करते समय भारी विसंगतियाँ पाई गई, यह विसंगतियाँ पंजिकाओं से शेष राशि को कम अथवा अधिक उठाने से आई है। जिसके कुछ उदाहरण निम्न वर्णित है। इस शेष राशि को 31.03.2011 तक पुनः जाँच कर, outstanding statement को संशोधित कर, अगले अंकेक्षण में दर्शाया जाए।

Sl. No.	Name of the Party	Particulars	Outstanding Statement as on 31.03.2011	Remarks
1	Sh. G.S. Sodhi/ ID-4	शून्य	1782	already received
2	Sh. Jaithu Ram/ ID-225	शून्य	2229	already received 23-02-10
3	Smt. Sita Devi/ ID-236	शून्य	5544	already received 21-09-10
4	Smt Manju Sharma/ ID-260	324	258	(-) 66
5	M/s Purolator India/ ID-341	673	495	(-) 178
6	M/s Purolator India/ ID-345	843	432	(-) 415
7	Smt Kajwanti Devi/ ID-365	—	369	Before received 03/11
8	Sh. Onkar Singh/ ID-431	—	475	Before received 03/11
9	Sh. Rajander Kumar/ ID-5DI-5A	—	673	Received 03/11
10	M/s Purobtor India/ ID-346	430	308	(-) 122
11	Sh. Krishan Chauhan/ ID-417	277	475	(-) 198
12	Sh. Vinod Kapil 6D-181	99	574	(+) 475
13	GM HPMC/ AD-375	258	192	(+) 66
14	GM HPMC/ HD-377	4658	4592	(-) 66
15	Sh. Brij Mohan/ HD-497	—	1633	Received 04-03-11
16	R.M. HRTC/HD-508	716	644	72
17	Sh. Vinod Kumar/ AD-11C	190	99	91
18	Sh. Gyan Prakesh/ AD-19	44	22	22

19	Sh. S.S. Chand/ AD-22	341	300	41
20	Supretendent Post Office 3D-58	220	154	66
21	M/s Impect Plders/ 2C-26	9635	9335	300
22	M/s Khanna Watch/ 3C-5	शून्य	43	-

Baddi

23	Sh. Rajeev Modgil/ Plot No. 50	<u>1512</u> <u>5594</u>	7106	due/ outstanding 5594
24	M/s Nykom-02	54120	5412	Difference, 48708

Nahan

25	Smt. Saroj Kumari H.No. 14	910	578	332
26	Sh. Ramesh Chand Saini H.No. 31	2123	1680	443
27	Sh. Chander Mohan H.No. 36	575	273	-
28	Smt. Suman Sharma H.no. 38	577	275	-
29	Sh. Ravinder Parkesh H.No. 43	577	275	-
30	Sh. Satpal Sharma H.No. 54	1038	944	-
31	Smt Madhu Gupta H.No. 66	330	270	-
32	Sh. Kartar Singh H.No. 70	1679	1277	-
33	Sh. Khajan Singh H.No. 88	2017	1584	-
34	Sh. Man Mohan Singh H.No. 111	577	275	-
35	Sh. Ravinder Singh H.No. 118	2123	1680	-
36	Smt. Nidhi Chauhan H.No. 122	310	217	-

Maintenance Parwanoo**Difference**

1	Sh. Ashok Kumar Gupta 5/A-3	59,241	5924	53,317
2	Smt. Anup Rani Sood 21/B-2	—	9433	Received on 20-01-10
3	Sh. Pushpinder Singh 22/A-I	—	4514	Received on 20-01-10
4	Sh. D.N. Dhiman 3/A-3	10901	10907	6
5	Sh. Sanjay Dhar 32/A-3	—	14700	Received on 15-01-10
6	Sh. Rajesh Bhardwaj 37/A-2	—	1485	Received on 27-01-10
7	Sh. Surender Singh H.No. 13	—	—	-
8	Sh. Ram Tirlh H.No. 16	2473	2614	
9	Sh. Shared Kumar-24	—	1683	
10	Sh. Rattan Singh-42	—	6288	
11	Sh. S.M. Garg-106	163	931	appeared in o/s but not in ledger o/s
12	Sh. Ram Gopal HIG-1B	8101	2101	6000
13	Sh Dinesh Kumar Booth No-4	3489	6489	3000

3% मिहकुल परवाणू के अन्तर्गत विभिन्न जल उपभोगताओं से जल प्रभार के बिल कम राशि के जारी करने के फलस्वरूप ₹7,997.00 की कम प्राप्ति की गई जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया है इस राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाए। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में भी ऐसे कुछेक मामले पाए गए थे तथा अंकेक्षण द्वारा यह सुझाव दिया था कि जल उपभोगताओं की बिलिंग सही की जानी सुनिश्चित की जाए व उपभोक्ताओं खातों की उप मण्डल व मण्डल स्तर पर जाँच की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसे मामलों की पुर्नवृत्ति न हो :-

ty vkifr' ;ktuk ijok.k

Øe l[;k	miHkkDrk dk uke	[kkrk l[;k	fcy l[;k@ fnukd	fcy e de n'kkb' xbl jkf'k
1	S.H.O. Parwanoo	2D-5	4906 / 07.12.10	559.00
2	S.H.O. Parwanoo	2D-4	1492 / 03.09.10	338.00
3	K-16A-M/s Purolater, India Ltd.	K-16A	24519 / 13.04.10	360.00
4	M/s Allied Nippon (P) Ltd.	5C-67	24845 / 08.04.10	3600.00
				4857-00

ty vkifr' ;ktuk] cih

1	श्री जनक राज हाऊस नं० 2 फेस-1	हाऊस नं० 2 फेस-1	602 / 16.03.11	39.00
2	Sh. Ravinder Mohan Bhalla	3D-397	11861 / 20.08.11	171.00
3	M/s ACMETE IE Power ltd Ind. Plot No. 57	4C-57	Bill not raised for the period 08-07-10 to 27-07-10	1330.00
4	M/s A.G. Peripharal	4C-55	1247/03-05-11	200.00
5	M/s K.S. Flexi Park	4C-53	46/07-01-11	640.00
				7237

ty vkifr' ;ktuk] ukgu

		HIG-I		
1	डा० बी०एल० गर्ग	House no.- 106	178 / 03.11.2010	760.00
				7997

5 jkf'k ₹2-65 yk[k dk vf/kd@vfuf;fer Hkxrku %&

कार्य का नाम	एकीकृत आवासीय टारुनषिप मन्धाला, डवैलपमेंट वर्क्स कन्सट्रक्शन ऑफ रोड प्रोवाईडिंग एक्सटरनल वाटर सप्लाई एक्सटरनल सिवरेज, ड्रेन इत्यादि।
संविदाकार का नाम	मै० ऑल ग्रेस डवैलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य का आबंटन मै० ऑल ग्रेस डवैलपरस को अधिषाषी अभियन्ता हिमुडा मण्डल, परवाणू के पत्र संख्या: हिमुडा/पी०डी०/सी०बी०/ए-15/2008-85-93, दिनांक 07.04.2008 द्वारा ₹27,69,56,604.93 में किया गया। संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य 15 मास की अवधि में किया जाना अपेक्षित था। इस निर्माण कार्य के 16वें चलत बिल से 25वें चलत बिल तक किए गए सम्पूर्ण कार्य की विस्तृत जाँच की गई। जाँच करने पर निम्नवर्णित अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गई :-

1% jkf'k ₹0-33 yk[k dk Ifonkdj dk vf/kd Hkxrk %&

निर्माण कार्य के 25वें चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 8 एनैक्सचर ए-3 प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग पी०बी०सी० पाईप 100 एम०एम० Ø इन रिटेनिंग वाल फार वीप होलस के लिए करवाए गए 2457-8 रनिंग मीटर कार्य हेतु ₹150.00 प्रति रनिंग मीटर की दर से ₹3,68,673.00 का भुगतान किया गया। जाँच करने पर पाया गया कि भुगतान की चलत बिलों में करवाए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 4 एनैक्सचर ए-3 स्क्वायर खल मैसनरी के करवाए गए कार्य में 100 एम०एम० Ø पाईप के वीप होल्स का प्रयोग किया जाना था। परन्तु उक्त कार्य मद की गणना करते समय 100 एम०एम० पाईप हेतु कोई भी कटौती स्क्वायर खल मैसनरी की कार्य मात्रा से नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप स्क्वायर खल मैसनरी के करवाए गए कार्य का आंकलन अधिक किया गया है। अंकेक्षण में 25वें चलत बिल तक किए गए कार्य के आधार पर 2457.82 रनिंग मीटर पी०बी०सी० पाईप 100 एम०एम० डाय के लिए 19-31 घन मीटर $(\frac{11}{4} \times (0.10)^2 \times 2457.82) = 19.31$ घन मीटर) की कटौती अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 4 एनैक्सचर-ए-3 स्क्वायर खल मैसनरी की कार्य मात्रा 2864.26 घन मीटर से करके शुद्ध भुगतान 2864.26 (-)19.31=2844.95 घन मीटर की मात्रा हेतु ही किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 4 एनैक्सचर ए-3 स्क्वायर खल की 19.31 घन मीटर अधिक ली गई मात्रा बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹1720.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹33,213.20 की वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

2% ifjf'k"V %Mh% IMd d fdukj vkj0lh0lh0@LVku e'kujh l ukyh fuek.k dk; dh vucU/k en l ;k 1 dk ukfeu dypj ekud nj vu l ph ij vk/kkfjr u gku d dkj.k Ifonkdj dk ₹0-53 yk[k vf/kd Hkxrk %&

आवासीय परिसर मन्हाला के अनुबन्ध परिषिष्ट (डी) जिसमें सड़क के किनारे आर०सी०सी०/स्टोन मैसनरी से नाली का निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य मदों को सम्मिलित किया गया है। का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या:-1 द्वारा निर्माण कार्य "Excavation in foundation and trenches in earth work in all kind of soil up to all heights staking the excavated soil not more then the 3 meters clear from the edge of excavation and returning the stacked soil in 15 cm layers when required in plinths, sides of foundation etc" के लिए

संविदाकार से दरें मांगी गई थी। संविदाकार द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य के लिए ₹70.00 प्रति घनमीटर की दर भरी गई थी। 25वें चलत बिल तक उक्त कार्य की कुल मात्रा 4577.75 घनमीटर का भुगतान ₹77.00 प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तिका संख्या: 2066 के पृष्ठ 8 पर किया गया था। जाँच करने पर पाया गया कि यह कार्य नाली की खुदाई से सम्बन्धित था जिसके लिए मानक दर अनुसूची 1999 की मद संख्या: 07050000 द्वारा वर्णित निर्माण कार्य “Excavation in drain and channel etc in earth work i/c dressing side and bed and disposing of excavated earth” किया जाना व भुगतान किया जाना अपेक्षित था। वास्तव में नाली की खुदाई के लिए उपरोक्त वर्णित कार्य ही किया जाता है। मण्डल द्वारा मानक दर अनुसूची 1999 की मद संख्या: 07050000 द्वारा वर्णित कार्य का भुगतान परिषिष्ट “डी” की मद संख्या:1 के लिए संविदाकार द्वारा भरी गई दर जोकि ₹70.00 प्रति घन मीटर के हिसाब से किया गया। जबकि इस कार्य का भुगतान प्रतिस्थापित (Substitute) मद की दर के अनुसार होना अपेक्षित था। इस प्रतिस्थापित मद की दर का निर्धारण ₹49.65 प्रति घन मीटर की दर से जिसकी गणना का विवरण निम्न वर्णित है करके सही भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | परिषिष्ट “डी” की मद संख्या: 11 i.e., exaction in foundation and trenches की DNIT के अनुसार दर | ₹92.85 प्रति घन मीटर |
| (2) | उपरोक्त कार्य मद की संविदाकार द्वारा भरी गई दर ₹70.00
(-) 9% rebate | ₹63.70 प्रति घन मीटर |
| (3) | मानक दर अनुसूची 1999 की मद संख्या: Excavation in drain and channel etc की दर
प्रतिस्थापित मद की भुगतान दर | ₹75.95 प्रति घन मीटर
₹52.10 प्रति घन मीटर |

इस प्रकार संविदाकार को परिषिष्ट “डी” की मद संख्या: 1 के कार्य के लिए ₹52.10 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान देय था लेकिन निर्माण मण्डल द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए ₹70.00 प्रति घन (-) 9% छूट = ₹63.70 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया पाया गया। यद्यपि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अंकेक्षण आपत्ति उठाई गई थी फिर भी निर्माण मण्डल द्वारा संविदाकार को अनियमित/अनुचित भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार संविदाकार को 25वें चलत बिल तक किए गए 4577.75 घन मीटर कार्य हेतु ₹63.70 (-) ₹52.10 = 11.60 प्रति घन मीटर की दर से ₹53099.58 का अधिक/अनुचित भुगतान संविदाकार को किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹53,099.58 को वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

3% LVhy dk xyr QDVj yxk, tku d dkj.k lfonkdj dk ₹0-08 yk[k dk vufpr@vf/kd Hkxrku %&

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में विभिन्न एनैक्सचर में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रीईन फोरसमेंट के करवाए गए कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0 टी0म0टी0 स्टील को मीटर से किलो ग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर के लिए 0.395 कि0ग्रा0 का फैक्टर लगाकर गणना की गई है जबकि उचित गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रति रनिंग मीटर की जानी आपेक्षित थी। निर्माण मण्डल द्वारा करवाए जा रहे अन्य निर्माण कार्यों तथा इसी निर्माण कार्य के अठारवें चलत बिल के पश्चात 8 एम0एम0 टी0एम0टी0 स्टील की गणना के लिए 0.39 कि0ग्रा0 प्रति मीटर का फैक्टर लगाया जा रहा है। अतः अनुचित प्रकार से लगाए गए गलत फैक्टर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निम्नविवरणानुसार 202-42 कि0ग्रा0 की अधिक ली गई मात्रा हेतु ₹7586.41 की वसूली संविदाकार से करके राशि जमा करवाई जाए।

,ud l pj u0 dk;l en l0	eki ifLrdk l0 o i0 l0	0-395 fd0xk0 ifr ehVj l dh xb x.kuk %fd0xk0 e%	0-39 fd0xk0 ifr ehVj d QDVj l l gh x.kuk	vf/kd yh xb ek=k fd0xk0 e	Hkxrku nj ifr fd0xk0	vf/kd Hkxrku
“D-1” कार्य मद सं0 9	1945 पृ0 72	3655.64 कि0ग्रा0	9254.80m x 0.39 = 3609.37	46.26 kg	36.85	1704.68
“D-1” कार्य मद सं0 9	1945 पृ0 92	2682.80 कि0ग्रा0	6791.90m x 0.39 =2648.84	33.96 kg	36.85	1251.42
“D-1” कार्य मद सं0 9	1945 पृ0 61	2314.54 कि0ग्रा0	5859.60 x 0.39 = 2285.24	29.30 kg	36.85	1079.70
“B-3x” कार्य मद सं0 7	1945 पृ0 44	99.44 कि0ग्रा0	251.75 x 0.39= 98.18	1.26	38.22	48.15
“B-3x” कार्य मद सं0 7	1945 पृ0 42	563.58	1426.80 x0.39=556.45	7.12	38.22	272.12
“B-3x” कार्य मद सं0 7	1945 पृ0 39	1219.95	3088.50x0.39=1204.51	15.44	38.22	590.11
“B-3x” कार्य मद सं0 7	1945 पृ0 33	546.20	1382.80x0.395=539.29	6.91	38.22	264.10
“B-3x” कार्य मद सं0 7	1945 पृ0 96	2067.12	5233.40x0.39=2041.02	26.10	38.22	997.54
“B-3x” कार्य	1945 पृ0	1296.94	3283.40x0.39=1280.52	16.42	38.22	627.57

मद सं० 7	22					
“B-3x” कार्य	1945 पृ०	1606.97	4068.28x0.39=1586.63	19.65	38.22	751.02
मद सं० 7	16					
			Total	202.42	-	7586.41

%4% jkf'k ₹1-56 yk[k dk vfu;fer@vufpr Hkxrku %&

निर्माण कार्य के 16वें से 18वें चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 1 एनेकसचर “सी” सिवरेज वर्क के करवाए गए 8655.86 घनमीटर कार्य हेतु ₹50.00 प्रति घनमीटर की दर से ₹4,32,793.00 का भुगतान किया गया। अनुबन्धित दरों की जाँच करने पर पाया कि उक्त कार्य मद हेतु ₹32.00 प्रति घन मीटर की दर अनुबन्धित थी जिसके आधार पर संविदाकार को ₹2,76,987.52 का भुगतान ही देय था। अतः संविदाकार को राशि ₹1,55,805.48 का भुगतान अधिक व अनियमित/अनुचित प्रकार से किया गया। यद्यपि संविदाकार को 19वें चलत बिल में भुगतान दर सही करके ही भुगतान किया गया है, फिर भी ₹1,55,805.48 के तीन चलत बिलों में किए गए अनुचित/अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

%5% jkf'k ₹0-15 yk[k dh jkf'k dk vufpr@vfu;fer Hkxrku %&

निर्माण कार्य के 16वें चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि एनेकसचर “ए-2” की कार्य मद संख्या: 5 (प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी०सी० 1:4:8) की कार्य मात्रा 334.36 घन मीटर हेतु ₹2010.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹6,72,063.60 का भुगतान किया गया। इस कार्य मात्रा में माप पुस्तिका संख्या: 1945 के पृष्ठ 82 पर रिकॉर्ड प्रविष्टियों की मात्रा 18.62 घन मीटर भी सम्मिलित थी जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या: 1945 के पृष्ठ संख्या: 81 व 82 में कैट एक के फ्लैट्स के साथ चार स्पेन में लगाई गई दिवारों रिटेनिंग वॉल 16.38 मीटर व 15.70 मीटर की लम्बाई में 2 नम्बर सी०सी० वॉड 1:4:8 की गणना $16.38 \times 1.57 \times 0.15 = 3.85 (+)$ $15.70 \times 1.57 \times 0.15 = 3.69$ अर्थात् कुल मात्रा 7.54 घन मीटर लेकर कार्य दर्शाया गया। पूर्व पृष्ठों पर कार्य मद संख्या: 2 सी०सी० 1:6:12 व कार्य मद 4 स्कवायर खल मैषनरी की पड़ताल करने पर पाया गया कि क्रमशः 0.30 मीटर तथा 1.30 मीटर से 2.00 मीटर की ऊंचाई तक सी०सी० 1:6:12 व स्कवायर खल मैषनरी का कार्य करवाया गया था तथा स्कवायर खल मैषनरी पर सी०सी० 1:4:8 के दो-दो बॉड 0.15 मीटर ऊंचाई के लगाए गए जिसके उपर 3 से 4 ऊंचाई की रिटेनिंग वॉल का निर्माण ड्राईव स्कवायर खल मैषनरी में किया गया। लगाई गई दिवारों पर स्कवायर खल मैषनरी के पैड सटल जो कि 1.30 से 2.00 मीटर की ऊंचाई तक के थे, पर सी०सी० 1:4:8 के बॉड लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं था। लगाए गए बॉड की पुष्टि अनुमोदित ड्राईंग से भी नहीं करवाई गई तथा न ही किए गए कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों को सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित ही किया गया पाया गया। अतः सी०सी० 1:4:8 में लगाए गए बॉड

जिसकी मात्रा 7.54 घन मीटर बनती है निष्पादन व भुगतान का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः 7.54 घन मीटर के लिए दर ₹2010.00 प्रति घनमीटर से राशि ₹15,155.40 की वसूली उचित स्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए।

6% jkf'k ₹47-58 dh ifrLFkkfir dk;| en fcuk Lohdfr@Lohdr njk d fd;k tkuk %&

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर संविदाकार को किए गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रतिस्थापित कार्य मदों हेतु संविदाकार को 25वें चलत बिल तक राशि ₹47,52,869.00 का भुगतान किया गया। इन प्रतिस्थापित कार्य मदों हेतु पार्ट दर से भुगतान किया जा रहा था परन्तु न तो इन प्रतिस्थापित कार्य मदों की संचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक स्वीकृति अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई तथा न ही संविदाकार को किए जा रहे भुगतान की सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत दरें अंकेक्षण में दिखाई गई। इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक स्वीकृति आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

00 10	ifrLFkkfir dk; en l0	lf{klr uke	250: pyr fcy rd fd, x, dk; dh ek=k	Hkxrku nj ₹ e	fd;k x;k Hkxrku ₹ e
1	6/annexure "A-1"	प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग स्प्रैडिंग एण्ड कन्सोलिडेशन ग्रेडिड स्टोन एग्री	5415.53 घन मीटर	700.00 प्रति घन मीटर	37,90,871.00
2	6/annexure "A-5"	प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0 हेविंग स्ट्रैथ ऑफ एम-30 मिक्सड डिजाईन	160.10 घन मी0	3210.00 प्रति घन मी0	5,13,921.00
3	3/annexure "A-5"	प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0 एम-15 नोमिनल साईज एक्स क्लूडिंग कौस्ट ऑफ फोम वर्क			

(ए)	फाऊंडेशन	79.03 घन मी०	2400 प्रति घन	1,89,672.00
	फूटिंग		मीटर	
(बी)	दिवारों में	92.95 घन मी०	2400 प्रति घन	2,23,080.00
			मीटर	

4	2/annexure “B-3x”	प्रोवाईडिंग	एण्ड	20.56 घन मी०	2010.00 प्रति	41,325.00
		लेईंग सी०सी०	1:3:6		घन मीटर	
		ग्रेडिड स्टोन	एग्री			
		40 एम०एम०	इन			
		फाऊंडेशन	एण्ड			
		प्लीथ				

; kx 47]58]869-00

6 jkf'k ₹1]09]939@&dk 10 lh0lh0 nko d :i e lfondkj dk vf/kd Hkxru %&

कार्य का नाम	C/o SC/ST Hostel (For 105 girls) at Nalagarh
अनुबन्ध संख्या:	22 वर्ष 2006–07,
संविदाकार का नाम	मै० ए०आर० कन्सट्रक्शन

हिमुडा मण्डल परवाणू के वाऊचर संख्या: 16, दिनांक 01.03.2011 जो 10 सी०सी० के दावे के रूप में भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित था के अंकेक्षण/जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि उक्त दावे को तैयार करते समय अनुबन्ध कलॉज 10 सी०सी० के अर्न्तगत दिए गए प्रावधानों अनुसार पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई थी अर्थात् अनुबन्ध की कलॉज 10 सी०सी० के अर्न्तगत उप पैरा 5(9) अनुसार किसी भी तिमाही जो भी अनुबन्ध अनुसार बनती है में किए गए कार्य के मैटिरियल के लिए मूल्य बढ़ौतरी प्रदान करने का प्रावधान था अनुबन्ध की धारा 5(9) में लिखा है :- “The compensation for escalation shall be worked out at quarterly intervals and shall be with respect to the work done during the three calendar months of the said work” जबकि उक्त वाऊचर में तीन महीने का समय गणना करने के लिए जिस दिन संविदाकार को भुगतान किया गया है उस महीने को तिमाही में Whole Sale Price Index की Average की गणना हेतु लिया गया है जबकि अनुबन्ध की धारा 5(9) के दृष्टिगत केवल जब तक/जिस माह तक संविदाकार ने वास्तविक रूप से कार्य किया है को तिमाही की Average गणना हेतु सम्मिलित किया जाना वांछित था। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की मजदूरी की बढ़ौतरी के अर्न्तगत दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को अनुबन्ध की कलॉज 10 सी०सी० की उप-धारा 7(b) अनुसार जिस तिमाही से श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ौतरी होती है उससे अगली तिमाही से बढ़े हुए दामों अनुसार मुआवजे की राशि दी जानी आपेक्षित थी अर्थात् कलॉज 10 सी०सी० की उप-धारा 7(b) में यह स्पष्ट किया है “The escalation for labour also shall be paid at the same quarterly intervals when

escalation due to increase in cost of materials and or POL is paid under the clause. If such revision of minimum wages takes place during any such quarterly interval, the escalation compensation shall be payable for work done in all quarters subsequent to the quarter in which the revision of minimum wages takes place”.

अनुबन्ध की कलॉज 10 सी0सी0 की उप-धारा (5 a) व (7 b) के अनुसार निम्न प्रकरणों में कार्यवाही न करने के कारण उक्त कलॉज के अर्न्तगत मुआवजे का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न है :-

कार्य का नाम	C/o Hostel for SC (For 105 Nos Rooms) at Nalaghar			
संविदाकार का नाम	मै0 ऐ0आर0कन्स्ट्रक्शंस			
अनुबन्ध संख्या:	22 वर्ष 2006—2007			
10 I h0 I h0 d nko dh vof/k %frekgh%	nko e n'kk;k x;k fu"ikfnr dk;	efVfj;y dh eY; c<krjh gr Hkxrku dh xbl jkf'k ₹%e	ekiu ifLrdk vu kj okLro e mDr vof/k e fu"ikfnr dk; ₹% e	efVfj;y dh eY; c<krjh gr okLro e n; jkf'k
01.07.07 से 30.09.07 तक	3505659.70	70669.18	1727032.90	46114.36
1	{(+) 19412.07 तथा शेष 3505659.70—1727032.90=1778626.80 पिछली तिमाही अर्थात् 01.04.07 से 30.06.07 तक की मुल्य बढ़ौतरी हेतु देय थी जो गणना अनुसार ₹19412.07 बनती है}			
				vf/kd Hkxrku 5142-75
2	01.04.09 से 30.06.09 तक	441943.06	38716.32	शून्य
	(जबकि राशि ₹441943/—पिछली तिमाही अर्थात् 1.01.01.09 से 31.03.09 तक के मैटिरियल मुल्य बढ़ौतरी हेतु देय थी जो गणना अनुसार ₹31692.45 बनती है)			vf/kd Hkxrku 7023-87
	लेबर/श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी के फलस्वरूप अधिक किया गया भुगतान :-			
frekgh vof/k	fu"ikfnr dk;	ycj d U;ure eY; dh c<krjh gr Hkxrku fd;k	okLro e n; Hkxrku	vf/kd Hkxrku
3	01.01.08 से 31.03.08	1295207.99	97772.12	शून्य
				97772.12

(न्यूनतम श्रम मूल्य की बढ़ौतरी 01.01.08 से 31.03.08 तिमाही में ₹75/-से ₹100/-की गई थी तथा इसी तिमाही के लिए 10 सी0सी0 मुआवजा दिया गया है जबकि नियमानुसार/ अनुबन्ध की कलॉज 10 सी0सी0 की उप-धारा 7(b) अनुसार बढ़ौतरी अगली तिमाही/अवधि अर्थात् 01.04.08 से आगे के लिए दी जानी वांछित थी)

इस प्रकार संविदाकार को 10 सी0सी0 दावे की राशि ₹1,09,938.74 (1+2+3) का अधिक भुगतान किया गया। अतः राशि को उचित स्रोत से वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में ऐसे दावे/मुआवजे की राशि को 10 सी0सी0 कलॉज के दृष्टिगत पूर्ण रूप से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यहां यह सुझाव भी दिया जाता है कि अंकेशन द्वारा चयनित माह 03/2011 में भुगतान किए गए 10 सी0सी0 के दावों की ही जाँच पड़ताल की गई है यदि शेष माहों में इस प्रकार अर्थात् 10 सी0सी0 के दावों के रूप में कोई भी अदायगी की गई हो तो, ऐसे दावों को अनुबन्ध की कलॉज 10 सी0सी0 के अन्तर्गत पुनः समीक्षा की जाए तथा अधिक की गई अदायगी को उचित स्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 okApj l[; 152] fnukd 31-06-2011] jkf'k ₹1119391 %&

कार्य का नाम	8 नम्बर कैट-1 फलैटस सैक्टर 6, ब्लॉक नम्बर 70
अनुबन्ध संख्या:	15 वर्ष 2010-11
संविदाकार का नाम	श्री होषियार सिंह
बिल संख्या:	द्वितीय चलत बिल
माप पुस्तिका सं०	2029 पृष्ठ 7 से 20

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा संविदाकार को ₹11,19,391.00 का भुगतान द्वितीय चलत बिल के रूप में किया गया। जाँच करने पर निम्न आपतियाँ पाई गई :-

1/1 jkf'k ₹1830-60 dk vf/kd Hkxrku %&

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 7(इ) प्रोवाईडिंग फोम वर्क, बीम कैंटीलीवर के करवाए गए 620.24 वर्ग मीटर कार्य हेतु 180.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹111643.20 का भुगतान किया गया। उक्त मात्रा से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या: 2028 के पृष्ठ 75 पर की गई थीं में 183.10 वर्ग मीटर की मात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि सही गणना 172.93 वर्ग मीटर ही बनती थी परन्तु भुगतान हेतु अनुचित/गलत प्रकार से मात्रा 183.10 वर्गमीटर ले ली गई। जो कि 10.17 वर्ग मीटर से अधिक ली गई। अधिक भुगतान की गई कार्य मात्रा 10.17 वर्गमीटर हेतु

स्थिति स्पष्ट की जाए व 180 प्रति वर्गमीटर की दर से 1830.60 की वसूली उचित स्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए।

8 lfonkdj dk jkf'k ₹0-28 yk[k dk vf/kd Hkxrku %&

निर्माण कार्य का नाम	PSF Scheme in sector-VI at Parwanoo (C/o 8 no. Cat-I flats, Block no. 72)
अनुबन्ध संख्या:	12 of 2010-2011
चलत बिल	द्वितीय चलत बिल
संविदाकार का नाम	श्री विरेन्द्र शर्मा
बिल वाऊचर संख्या:	154, दिनांक 31.03.2011

%1% LVku fQfyx fcgkbIM fjVfux oky dk;| ek=k dh xyr x.kuk d QyLo:i jkf'k ₹24299@& dk vf/kd Hkxrku %&

उपरोक्त कार्य के द्वितीय चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान पाया कि अनुबन्ध की मद संख्या: 24 की कार्य मात्रा 140.99 घन मीटर के लिए ₹77,544.50 का भुगतान किया गया। जाँच करने पर पाया गया कि RD NO. o/00 से o/26.30 के लिए एम0बी0 संख्या: 2034 के पृष्ठ 9 की रिकॉर्ड प्रविष्टि अनुसार प्रथम रनिंग बिल में मात्रा का भुगतान निम्न किया गया :—

$$1 \times 26.30 \times \frac{(0.15 + 0.60)}{2} \times 3 = 29.58 \text{ घन मीटर}$$

इस प्रकार मापन पुस्तिका संख्या: 2034 पेज 19 पर ली गई मात्रा के लिए अधिक भुगतान किया गया है क्योंकि मापन पुस्तिका की प्रविष्टियों अनुसार उक्त रिटेनिंग वाल की ऊंचाई केवल 3 (तीन) मीटर थी जिसके लिए स्टोन फिलिंग का भुगतान मापन पुस्तिका 2034 के पृष्ठ 9 अनुसार पहले चलत बिल द्वारा किया गया था। अतः पुनः 44.18 घन मीटर मात्रा के लिए अनुबन्ध की मद संख्या: 24 की दर ₹550/—प्रति घन मीटर हेतु ₹24299/— की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

%2% ₹3914-00 dk ohi gkyI bu fjVfux oky dh ek=k Ldo;j jcy e'kujh e u ?kVku d dkj.k lfonkdj dk vf/kd HkxrkuA

उपरोक्त कार्य के तृतीय चलत बिल में अनुबन्ध मद संख्या: 25 P/F 100 mm & PVC Pipe for weep holes in retaining wall हेतु 262.20 मीटर मात्रा का भुगतान किया गया था परन्तु स्कवेयर खल मैजरी में उक्त मात्रा के समरूप मात्रा को घटाया नहीं गया था। अतः निम्न विवरणानुसार मात्रा घटाई जानी आपेक्षित थी :—

$$\text{वीप होल की घन मीटर में मात्रा } 22/7 \times 0.05 \times 0.05 \times 262.20 = 2.06 \text{ घन मीटर}$$

इस प्रकार 2.06 घन मीटर मात्रा स्कवेयर खल मैषनरी से न घटाने के कारण $2.06 \times 1900 = ₹3914$ का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया था। अतः ₹3,914/—की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाए जाए।

3% jkf'k ₹5-01 yk[k dh ,DLV'k vkbVe dk l{ke vf/kdkjh l Lohd'r u djokuk %&

तृतीय चलत बिल की मद संख्या 16(EI) व 17(EI) स्कवेयर रबल मैषनरी व ड्राई खल मैषनरी का निष्पादन किया गया है जिसके लिए क्रमशः ₹4,86,571/—व ₹14,752.00 की राशि का भुगतान संविदाकार को किया गया है। नियमानुसार अतिरिक्त मदों के निष्पादन से पूर्व मद के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी की स्वीकृति देय मुल्य के साथ ली जानी वांछित थी जो नहीं ली गई थी जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आगामी अंकेक्षण के समय दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए।

9 jkf'k 0-26 yk[k dk vf/kd Hkxrku %&

okApj l[; 148] fnukd 31-03-2011] jkf'k 12]30]318-00 %&

कार्य का नाम	इन्डीग्रेटिड टाऊनशीप एट मधाला कन्सट्रक्शन ऑफ 96 नम्बर फ्लैट्स
संविदाकार का नाम	मै0 हिम बिल्डरस
चलत बिल सं0	4 चलत बिल
माप पुस्तिका सं0	2015 पृष्ठ 31 से 43
अनुबन्ध संख्या:	4 वर्ष 2009—2010

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 5 17 प्रोवाइडिंग टौर स्टील की कार्य मात्रा 41563.56 कि०ग्रा० कार्य हेतु ₹55.00 प्रति कि०ग्रा० की दर से ₹22,85,995.80 का भुगतान किया गया। उक्त मात्रा में माप पुस्तिका संख्या: 2014 के पृष्ठ संख्या: 60 व 61 पर की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों की मात्रा 863.21 कि०ग्रा० व 860.74 कि०ग्रा० भी सम्मिलित थी जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि सैकिंड फ्लोर ब्लाक नम्बर बी में कॉलम संख्या: बी₁, बी₃, बी₅ सी₁, सी₅, सी₂ सी₃, सी₅ की स्टील की गणना पृष्ठ संख्या: 60 व 61 पर दो बार कर ली गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है। 468.23 कि०ग्रा० की अधिक ली गई मात्रा बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक ली गई मात्रा बारे ₹25,752.65 की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके राशि जमा करवाई जाए

dkye d ue f}rh; Qykj	eki ifLrd k l0	yh xbl x.kuk	vkif{kr yh t kuh x.kuk	vf/kd yh xbl ek=k
ब्लाक-बी कॉलम बी ₁ , बी ₃ , बी ₅ सी ₁ , सी ₂ , सी ₃ सी ₄ , सी ₅ आठ नं०	2014 पृष्ठ 61	16 mm 8x8x3.09=197.76x1.58m=312.46 kg over lape 16mm 8x8x0.80=51.20x1.58m=80.89 Ring 8x24x1.00=192x0.39m=74.88	Zero (पूर्व में पृ० 60 पर ले ली गई पाई गई)	312.46 kg 80.89 kg 74.88 kg
Total				468.23 kg

10 jkf'k ₹5148 dk vf/kd Hkxrku %&

okApj l[;k% 27] fnukd 05-03-2011] jkf'k ₹474]566-00 %&

कार्य का नाम	8 नम्बर कैट-1 फलैट्स एट सैक्टर 6 परवाणू
अनुबन्ध संख्या	21 वर्ष 2007-2008
संविदाकार का नाम	श्री अशोक मदान
चलत बिल संख्या	6 व अंतिम बिल
माप पुस्तिका संख्या	1990 पृष्ठ 1 से 63 तक

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा संविदाकार को ₹4,74,566.00 का भुगतान अन्तिम बिल के रूप में किया गया। पड़ताल करने पर निम्न वर्णित अंकेक्षण आपत्तियाँ आपेक्षित हैं :-

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 9 प्रोवाइडिंग/लेईंग सी०सी० 1:6:12 की कार्य मात्रा 265.24 घन मीटर हेतु संविदाकार को ₹1650/-प्रति घन मीटर की दर से ₹4,37,646.00 का भुगतान किया गया। माप पुस्तिका संख्या: 1948 पृष्ठ 67 पर दर्ज की गई इस कार्य मात्रा में रिकॉर्ड प्रविष्टियों की मात्रा 11.73 घन मीटर भी सम्मिलित थी की जाँच करने पर पाया गया कि रोड़ साईट पैरेफिट 19 नम्बर में करवाए गए सी०सी० कार्य की गणना ली गई

जबकि करवाए गए फोम वर्क (कार्य मद संख्या: 6 (जी)) व पैरेफिट पर की गई टायरिंग सी०सी० 1:2:4 (कार्य मद संख्या: 14) जो कि माप पुस्तिका संख्या: 1948 के पृष्ठ 67 व 68 पर दर्ज थी को ध्यान में रखते हुए गणना $19 \times 1.80 \times 0.45 \times 0.56 = 8.61$ घन मीटर ली जानी आपेक्षित थी। अतः उक्त कार्य मद की गणना 3.12 घन मीटर अधिक ली गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक माप की गई 3.12 घन मीटर की मात्रा को 1650.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹5148/- की वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

%1% jkf'k ₹0-09 yk[k dk vf/kd Hkxrku %&

उपरोक्त वर्णित अन्तिम बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य में 695.75 क्विंटल टौर स्टील प्रयोग की गई दर्शाई गई जिसकी ₹3090.00 प्रति क्विंटल की दर से ₹21,49,867.50 की वसूली गई। कार्य मद संख्या: 15) (प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 टौर स्टील) के अर्न्तगत कुल टौर स्टील का प्रयोग 659.90 क्विंटल का आंकलन किया गया। अनुबन्ध की क्लॉज 42(iii) को ध्यान में रखते हुए वेस्टेज इत्यादि के लिए उक्त मात्रा पर 5% की मात्रा अर्थात् 33.00 क्विंटल जोड़कर कुल मात्रा 692.90 क्विंटल तक की वसूली संविदाकार से की जानी आपेक्षित थी तथा शेष मात्रा 695.75 क्विंटल (-) 692.90 कि0ग्रा0 = 2.85 क्विंटल की प्राप्ति संविदाकार से की जानी आपेक्षित थी। टौर स्टील की वापसी संविदाकार द्वारा न किए जाने पर इषु रेट के दो गुणा यानि 2.85 क्विंटल x 3090 x 2 = ₹17913.00 की वसूली संविदाकार से की जानी अपेक्षित थी जबकि मण्डल द्वारा केवल 2.85 x 3090 = ₹8807.00 की वसूली ही एकल दर पर संविदाकार से की गई। ₹8806.00 की कम की गई वसूली बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹8806.00 की वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

11 jkf'k ₹0-72 yk[k dk =fVi.k ,o vfu;fer Hkxrku %&

हिमुडा मण्डल परवाणू से वाऊचर संख्या: 41, दिनांक 09.03.2011 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भुगतान वाऊचर द्वारा श्री चरण दास, संविदाकार को “Providing and placing of steel garbage containers in Baddi HIMUDA Colony/industrial area on rent basis for collecting the garbage by mechanical dumper/placer to approved dumping site” हेतु दिनांक 16.02.2011 से 28.02.2011 की अवधि के लिए ₹72,000/-राशि का भुगतान किया गया है। विस्तृत जाँच पड़ताल के दौरान पाया कि उपरोक्त राशि की वित्तीय स्वीकृति ₹6,000/-राशि की बारह (12) वित्तीय स्वीकृतियाँ अधिषाषी अभियन्ता द्वारा प्रदान की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार समस्त राशि की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जानी आपेक्षित थी। अतः समस्त राशि की एकल स्वीकृति न प्रदान करके राशि को सुविधानुसार विभाजित कर अलग-अलग स्वीकृति प्रदान की गई है जो कि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भुगतान की गई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से ली जाए व भविष्य में ऐसे मामले न दोहराये जाएँ।

12 lek;ktu okApj l[;k 23] ekI 03@2011] jkf'k ₹1]58]779-00] LVkd LVkj:t y[kk dk xyr@vfu;fer idkj l lek;ktu djuk %&

उपरोक्त समायोजन वाऊचर द्वारा ₹1,58,779.00 की राशि स्टॉक स्टोरेज लेखा को क्रेडिट तथा स्टॉक लेखा परवाणू, बद्दी, नालागढ़ व नाहन को क्रमशः ₹96,486.00, ₹65,529.00, ₹796.00 व (-) ₹4032.00 की राशियाँ डेबिट की गई थी। जाँच करने पर पाया गया कि यह समायोजन राशियाँ सब डिवीजन स्टोरेज व डिवीजन की खाता बही में दिनांक 31.03.2011 को पाए गए मुल्य के अन्तर से सम्बन्धित थी। मण्डल द्वारा इस अन्तर की राशि को स्टॉक स्टोरेज लेखा को क्रेडिट करके आय के रूप

में अनुचित प्रकार से दर्शाया गया। नियमानुसार स्टोर में पाए गए सामान को स्टोर प्राईस लैजर का निर्माण करके यदि किया गया होता तो वर्षांत में किसी भी प्रकार का अन्तर खाता बही शेष व स्टोर के वास्तविक शेष में नहीं पाया जाता। यह अन्तर मण्डल द्वारा स्टोर प्राईस लैजर का निर्माण न किए जाने के परिणामस्वरूप पाया गया। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेख को नियमानुसार तैयार न किए जाने के कारण वर्ष में स्टोर से जारी सामान को भी विभिन्न निर्माण कार्यों को उचित दरों पर राशियाँ डेबिट नहीं की जा रही थी। यद्यपि इस प्रकार की अंकेक्षण आपत्तियाँ पूर्व में भी उठाई जाती रही हैं परन्तु इस गम्भीर अनियमितता को दूर करने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अतः इस गम्भीर त्रुटि जिसके परिणामस्वरूप ₹1,58,779.00 के स्टॉक स्टोरेज को क्रेडिट दर्शाकर आय के रूप में अनुचित/ अनियमित प्रकार से दर्शाया गया है बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस महत्वपूर्ण अभिलेख को अविलम्ब तैयार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

1% jkf'k ₹1-52 yk[k dk lek;ktu y[kkk e u ik;k tkuk %&

स्टॉक लेखा अवधि 04/2010 से 03/2011 तक की पड़ताल करने पर पाया गया कि बिन कार्ड संख्या: 225 में से दिनांक 02.11.2010 को इण्डेंट संख्या: 829 दिनांक 04.10.2010 के द्वारा 3.53 मैट्रिक टन स्टील निर्माण कार्य 96 नम्बर इ0डब्ल्यू0एस0 प्लेट मधाला को जारी की गई। उक्त जारी स्टील से सम्बन्धित इण्डेंट स्टॉक अभिलेख में नहीं पाया गया तथा स्टॉक लेखा स्टॉक स्टोरेज लेखा तथा सम्बन्धित निर्माण कार्य का आवश्यक समायोजन भी नहीं किया गया नियमानुसार जारी स्टील के सन्दर्भ में स्टॉक लेखा व स्टॉक स्टोरेज लेखा के क्रमशः ₹1,47,165.70 व ₹4,414.97 की राशि क्रेडिट तथा ₹1,51,580.67 की राशि निर्माण लेखा 96 नम्बर इ0डब्ल्यू0 प्लेटस को डेबिट की जानी आपेक्षित थी। ₹1,51,580.00 का आवश्यक समायोजन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवश्यक प्रविष्टियां भी की जानी सुनिश्चित की जाए।

2% jkf'k ₹1-64 yk[k dh oIyh gr l fonkdj y[kkk e ifof"V u djuk %&

उपरोक्त वर्णित इण्डेंट संख्या: 829, दिनांक 04.10.2010 द्वारा 3.53 मैट्रिक टन स्टील 96 नम्बर इ0डब्ल्यू0 प्लेटस मधाला को जारी की गई। अनुबन्ध के अनुसार मैं0 हिम बिलडरस से ₹46,350.00 प्रति मैट्रिक टन को दर से ₹1,63,615.50 की वसूली की जानी आपेक्षित थी परन्तु आवश्यक वसूली हेतु कोई भी प्रविष्टि संविदाकार के लेखों में नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। संविदाकार के लेखों में वसूली हेतु आवश्यक प्रविष्टि न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। व संविदाकार से राशि ₹1,63,615.50 की वसूली की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

3% jkf'k ₹37-59 yk[k d Hk.Mkj dk xr db o"kk l mi;kx u djuk %&

स्टॉक लेखा व खाता बही में दिनांक 31.03.2011 को पाए गए अन्तर्षे की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को ₹37,59,018.00 का सामान शेष पाया गया जिसमें अधिकतर सामान अनेक वर्षों से उपयोग हेतु शेष था। परन्तु वास्तविक सत्यापन करते समय इस बारे में कोई प्रमाणपत्र दिया जा रहा है न ही कोई अन्य कार्यवाही ही इस प्रकार के स्टॉक को हटाए जाने बारे की जा रही है यद्यपि पूर्व में भी अनेक बार अंकेक्षण आपत्तियाँ उठाई जाती रही हैं परन्तु कोई भी ठोस प्रयास मण्डल द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भण्डार में अनेक वर्षों से शेष पड़े सामान का निपटारा नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

4.1 अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार खाता बही का लेखांकन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है।

अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार खाता बही का लेखांकन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। खाता बही में निर्माण कार्य बिलों को तिथिवार नहीं लिखा जा रहा था व जारी समान व हस्तांतरित सामान तथा खाता बही से सम्बन्धित अन्य प्रविष्टियों को भी तिथिवार लेखांकित नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि खाता बही को प्रत्येक मास/निर्माण बिलों की प्रविष्टि करते समय सम्बन्धित खातों के स्वतः स्पष्ट शेष नहीं दर्शाए गए थे जिसके कारण संविदाकार से हुए लेन देन की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं हो पाई। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि वसूली हेतु सामान की प्रविष्टियाँ न पाए जाने पर उन्हें अंकेक्षण के समय ही दर्ज किया गया जिससे स्पष्ट है कि निर्माण मण्डल संविदाकार खाता बही की गम्भीरता व उपयोगिता को कोई विशेष महत्व नहीं देता।

5. चयनित माह के निर्माण बिल/वाऊचर की प्रविष्टियों का कन्ट्रैक्टर लैज़र में सत्यापन के दौरान पाया गया कि संविदाकार को निम्न निर्माण कार्य हेतु की गई अदायगी को कन्ट्रैक्टर लैज़र में इन्द्राज नहीं किया गया है जिससे किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	माह	रकम
22	दिनांक 03.03.11	AR/mo WSS, Parwanoo	मै0 रवि इलैक्ट्रिक वर्क्स	5,44,743.00
59	दिनांक 11.03.10	AR/mo of HIMUDA Guest House, Parwanoo	मै0 नरेश चन्द धीमान	93,351.00
IInd R/Bill		PSFS, Sector-VI (8Nos Cat-I Flats at Parwanoo)	मै0 विरेन्द्र शर्मा	31,56,507.38
61	दिनांक 14.03.10	AR/mo of WSS, Parwanoo	मै0 नरेश चन्द धीमान	1,48,441.00

यद्यपि इस प्रकार की आपत्तियाँ पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई जाती रहीं हैं परन्तु पाई गई त्रुटियों के सुधार हेतु ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। संविदाकार खाता बही का निर्माण नियमानुसार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व खाता बही का लेखांकन नियमों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रकार से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

13 y/k vkifr fooj.k %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 fu"d"k %& लेखों में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

i"Bkdu l[;k %& फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)121/88-खण्ड-15, दिनांक,
षिमला-171009,

ifrfyfi %& निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला-171002
- 2- सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, षिमला-171002.

ift dr 3 अधिषासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल परवाणू जिला सोलन, को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

ifjfk"V M^d**

vd{k.k ifronu vof/k 04@2010 I 03@2011 rd d ijk I ;k 1 ½x½ e of.kr

A

½1½ vd{k.k ifronu vof/k 04@95 I 03@96

- | | | |
|-----|---------|----------|
| (1) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 12 | अनिर्णीत |

½2½ vd{k.k ifronu vof/k 04@2000 I 03@2001

- | | | |
|-----|---------|----------|
| (1) | पैरा 23 | अनिर्णीत |
|-----|---------|----------|

½3½ e.Mh e.My I LFkkukUrfjr ij

- | | | | |
|-----|--------------|-------------|----------|
| (1) | अवधि 1984—85 | पैरा 19(एफ) | अनिर्णीत |
| (2) | अवधि 1985—86 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| (3) | अवधि 1987—88 | पैरा 8(सी) | अनिर्णीत |
| (4) | अवधि 1987—88 | पैरा 10(ई) | अनिर्णीत |

½4½ f'keyk e.My&2 I LFkkukUrfjr ij

½I½ vd{k.k ifronu vof/k 04@91 I 03@92

- | | | |
|-----|-----------|----------|
| (1) | पैरा 5(ण) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 5(त) | अनिर्णीत |
| (3) | पैरा 9(क) | अनिर्णीत |

½II½ vd{k.k ifronu vof/k 04@93 I 03@94

- | | | |
|-----|-----------|----------|
| (1) | पैरा 7(ग) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 19 | अनिर्णीत |

½III½ vd{k.k ifronu vof/k 04@94 I 03@95

- | | | |
|-----|---------|----------|
| (1) | पैरा 17 | अनिर्णीत |
|-----|---------|----------|

1/5% v\{k.k ifronu vof/k 04@2003 I 03@2004

- | | | | |
|-----|--------|--------|--|
| (1) | पैरा 8 | समाप्त | (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-
फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011) |
|-----|--------|--------|--|

1/6% v\{k.k ifronu vof/k 04@2004 I 03@2005

- | | | | |
|-----|---------|--------|--|
| (1) | पैरा 12 | समाप्त | (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-
फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011) |
| (2) | पैरा 14 | समाप्त | |

1/7% v\{k.k ifronu vof/k 04@2005 I 03@2006

- | | | | |
|-----|------------|-----------------|--|
| (1) | पैरा 14 | समाप्त | (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-
फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011) |
| (2) | पैरा 17 | समाप्त | |
| (3) | पैरा 17(2) | समाप्त | |
| (4) | पैरा 20 | आंशिक
समाप्त | (विचलन की स्वीकृति प्राप्त करना अभी शेष था।) |

1/8% v\{k.k ifronu vof/k 04@2006 I 03@2007

- | | | | |
|-----|------------|-------------------------|--|
| (1) | पैरा 8(2) | समाप्त | (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-
फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011) |
| (2) | पैरा 12(1) | समाप्त | |
| (3) | पैरा 13 | आंशिक रूप
से निर्णीत | |
| (4) | पैरा 20 | अनिर्णीत | |

1/9% v\{k.k ifronu vof/k 04@2007 I 03@2008

- | | | | |
|-----|------------|----------|--|
| (1) | पैरा 6 | अनिर्णीत | |
| (2) | पैरा 7 | समाप्त | (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-
फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011) |
| (3) | पैरा 10(5) | अनिर्णीत | |
| (4) | पैरा 13 | अनिर्णीत | |
| (5) | पैरा 14 | अनिर्णीत | |

1/10% v\{k.k ifronu vof/k 04@2008 I 03@2009

- | | | |
|-----|--------|----------|
| (1) | पैरा 6 | अनिर्णीत |
|-----|--------|----------|

(2)	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
(3)	पैरा 16	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 17	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 18	अनिर्णीत	
(6)	पैरा 19(क)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(7)	पैरा 19(ख)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(8)	पैरा 19(घ)	अनिर्णीत	

%11% vdf{k.k ifronu vof/k 04@2009 I 03@2010

(1)	पैरा 3	अनिर्णीत	
(2)	पैरा 4(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2010-11 में सम्मिलित की गई है।)
(3)	पैरा 4(ख)	निर्णीत	
(4)	पैरा 5(i)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(5)	पैरा 5(ii)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(6)	पैरा 5(iii)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(7)	पैरा 6(1)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(8)	पैरा 6(2)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(9)	पैरा 7	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(10)	पैरा 8(1)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(11)	पैरा 8(2)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548/2011- फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(12)	पैरा 9	अनिर्णीत	
(13)	पैरा 10(1)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर तकनीकी आधार पर कोई भी खुदाई की जानी आपेक्षित नहीं थी।)
(14)	पैरा 10(2)	निर्णीत	(राशि ₹3,06,144.00 की वसूली कर ली गई)

(15)	पैरा 10(3)	समाप्त	(आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2010–2011 में पुनः प्रारूपित)
(16)	पैरा 10(4)	निर्णीत	(राशि ₹21,007.15 की वसूली कर ली गई। शेष 62.03 घन मीटर की मात्रा माप पुस्तिका 1942 के पृष्ठ 56 पर ओवर ऑल गणना करके कर ली गई)
(17)	पैरा 10(5)	समाप्त	(आगामी चलत बिल में 9% की छूट प्रदान की गई है)
(18)	पैरा 10(6)	समाप्त	(राशि ₹31,970.00 की वसूली कर ली गई)
(19)	पैरा 10(7)	समाप्त	(राशि ₹28,728.00 की वसूली कर ली गई)
(20)	पैरा 10(8)	समाप्त	(60 मीटर पाईप क्रॉसिंग पर पूर्व की गई खुदाई में डाली गई थी)
(21)	पैरा 10(9)	समाप्त	(राशि ₹15,147.00 की वसूली कर ली गई)
(22)	पैरा 10(10)	समाप्त	(राशि ₹11,153.00 की वसूली कर ली गई)
(23)	पैरा 10(11)	समाप्त	(राशि ₹10,814.00 की वसूली कर ली गई)
(24)	पैरा 10(12)	समाप्त	(राशि ₹10,509.00 की वसूली कर ली गई)
(25)	पैरा 10(13)	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर तकनीकी रूप से यह कार्य मद आवश्यक थी)
(26)	पैरा 10(14)	समाप्त	(राशि ₹5,101.00 की वसूली कर ली गई)
(27)	पैरा 11	अनिर्णीत	
(28)	पैरा 12(क)	अनिर्णीत	
(29)	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
(30)	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत	
(31)	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत	
(32)	पैरा 13(क)	समाप्त	(आगामी चलत बिलों में सही दर से भुगतान किया जा रहा है)
(33)	पैरा 14	अनिर्णीत	
(34)	पैरा 15	समाप्त	(राशि ₹6,324.00 की वसूली कर ली गई)
(35)	पैरा 16	अनिर्णीत	
(36)	पैरा 17	समाप्त	(पृष्ठांकन संख्या: 1–548/2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–6346, दिनांक 29.11.2011 के द्वारा समाप्त)